# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–05/2018
GCMS CASE NO- 2018/000278

दायर दिनांकः 09.01.2018

1. सुरेश चन्द्र पुत्र हरीराम जाति बिश्नोई साकिन 7 के बी तहसील अनूपगढ़
2. विनोद कुमार पुत्र हरीराम जाति बिश्नोई साकिन 7 के बी तहसील अनूपगढ़

....प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 13 (क) राज.उपनिवेशन अधिनियम 1954

उपस्थित :–
1. अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री इन्द्राज कस्वां
2. पैरोकार राज, अप्रार्थी की ओर से

– :: निर्णय :: –

दिनांकः– 24.03.2023

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी व पैरोकार राज हाजिर। पत्रावली का अवलोकन किया। यह पत्रावली न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 161/2005 अनवान सुरेश कुमार आदि बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2016 द्वारा प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड़ करते हुए प्रार्थीगण द्वारा खरीद की गई भूमि यथा तहसील अनूपगढ़ के चक 7 केबी के पत्थर न. 116/52 की 6.00 बीघा भूमि के संबंध में प्रार्थीगण को पुनः सुनवाई कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी को सुना गया तथा तहसीलदार अनूपगढ़ से उक्त रकबा के संबंध में रिपोर्ट मंगवाई गई।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड़ अधिकारी, अनूपगढ़ द्वारा दिनांक 21.12.1976 को प्रीतम सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति छीपां साकिन अनूपगढ़ को 16.00 बीघा आवंटन की गई। जिसमें से 10.00 बीघा का नियमितीकरण खरीददार अमरजीत सिंह आदि के हक में शमन फीस जमा करवाने के उपरांत दिनांक 15.03.2010 को हस्तांतरण विधिमान्य घोषित किया जा चुका है। शेष 6.00 बीघा भूमि प्रार्थीगण सुरेश चन्द आदि द्वारा खरीद किया गया है। प्रार्थीगण अपनी खरीदशुदा भूमि के उक्त हस्तांतरण को विधिमान्य घोषित करवाने हेतु चाहते है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा शमनफीस जमा करवा दी गई है। शमन फीस की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। रकबा पर हमारा कब्जा काश्त है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खरीदशुदा भूमि यथा तहसील अनूपगढ़ के चक 7 केबी के पत्थर न. 116/52 की 6.00 बीघा भूमि का हस्तांतरण विधिमान्य घोषित किया जावे।

पैरोकार राज ने दौराने बहस रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड़ अधिकारी, अनूपगढ़ द्वारा दिनांक 21.12.1976 को प्रीतम सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति छीपां साकिन अनूपगढ़ को 16.00 बीघा आवंटन की गई। जिसमें से 10.00 बीघा का नियमितीकरण खरीददार अमरजीत सिंह आदि के हक में शमन फीस जमा करवाने के उपरांत दिनांक 15.03.2010 को हस्तांतरण विधिमान्य घोषित किया जा चुका है। शेष 6.00 बीघा भूमि प्रार्थीगण सुरेश चन्द आदि द्वारा खरीद किया गया ... अनूपगढ़ के चक 116/52 किला न. 16 ता 18 व किला न. 23 ता 25 की 1.5... ... दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:14:06 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)



Scanned with OKEN Scanner

भूमि पर सुरेश चन्द आदि का कब्जा काश्त है। अतः राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने की प्रार्थना की।

पत्रावली में उपलब्ध श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 16.12.1995 का अवलोकन किया गया। उक्त आदेश में खरीददार यथा आत्मा सिंह को 10 बीघा भूमि की शमन फीस एक मुश्त 15000/– रूपये केता हरीराम को 6.00 बीघा की शमन फीस एकमुश्त 9000/– तथा दिनांक 07.9.1988 से 18 प्रतिशत की दर से ब्याज भी जमा करवाये जाने के आदेश दिये गये थे। जिसकी पालना में उक्त 10.00 बीघा के खदीददार अमरजीत पुत्र आत्मा सिंह द्वारा दिनांक 02.12.2009 को 15000 रूपये शमन फीस व 57443 रूपये ब्याज राशि राजकोष में जमा करवा दी गई है।

हस्तगत प्रकरण शेष 6.00 बीघा की शमन फीस मय ब्याज राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण जैरकार है। अब प्रार्थी सुरेश चन्द्र आदि द्वारा शमन फीस 9,000 रूपये तथा 18 प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज राशि 55,793 रूपये 24.03.2023 का जमा करवा दी है, जिसकी रसीद संलग्न पत्रावली है। रिपोर्ट तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ दिनांक 31.3.2022 अनुसार मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण ने शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उनके पास उपरोक्त भूमि सम्मिलित करते हुए सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं है। प्रार्थीगण राजस्थान के मूल निवास एवं सदभाविक कृषि पेश व्यक्ति है। प्रार्थीगण राजस्थान राज्य में कृषि भूमि आवंटित करवाने की पात्रता रखते है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी सुरेश चन्द विनोद कुमार पिसरान हरीराम जाति बिश्नोई साकिन 7 केबी तहसील अनूपगढ़ द्वारा खरीदशुदा भूमि यथा तहसील अनूपगढ़ के चक 7 केबी के पत्थर न. 116/52 की 6.00 बीघा भूमि का धारा 13 ए राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत नियमितीकरण किया जाता है तथा तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि मूल आवंटी प्रीतम सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति छीपांसाकिन अनूपगढ़ के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करे तथा सनद व रजिस्टर्ड बैयनामा पेश करने पर प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अंकन करे एवं नियमानुसार प्रार्थीगण को कब्जा संभलवाये। यदि नियमितीकरण राशि जमा के पश्चात कोई राशि बकाया है तो प्रार्थी से राशि जमा करावें। नियमितीकरण आदेश अलग से जारी किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील तरतीब होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:14:06 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with OKEN Scanner